प्रेस नोट - थाना कलान

जनपद शाहजहाँपुर

दिनांक 24.11.2026

थाना कलान, सर्विलांस सेल की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा थाना कलान क्षेत्रांतर्गत हुई हत्या की घटना का सफल अनावरण कर घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल सहित अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार में, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदया के निर्देशन में, क्षेत्राधिकारी जलालाबाद के कुशल पर्यवेक्षण, सर्विलांस सेल व प्रभारी निरीक्षक कलान के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत चिन्हित अपराधियों की गिरफ्तारी तथा वांछित, वारंटी एवं जिला बदर अपराधियों की तलाश एवं धरपकड़ के क्रम में थाना कलान पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 17.11.2026 को राकेश पुत्र गोधनलाल निवासी ग्राम सिउडी थाना कलान जनपद शाहजहाँपुर मय हमराह राजनेश पुत्र मकरन्द सिंह निवासी ग्राम सिउडी थाना कलान जनपद शाहजहाँपुर ने उपस्थित थाना कलान आकर सतीश पुत्र अनोखेलाल निवासी हाल ग्राम ललौर थाना शमशाबाद जनपद फर्रूखाबाद के खेत में बने सूखे कुएँ मे एक अज्ञात व्यक्ति का सिर कटा हुआ शव मिलने के सम्बन्ध में सूचना दी थी। उक्त शव की शिनाख्त मौके पर मौजूद पूजा पत्नी विनोद कुमार निवासी ग्राम सिउडी थाना कलान जनपद शाहजहाँपुर व उसके परिजनों द्वारा उक्त शव के पास मिले आधार कार्ड तथा अन्य सामान से विनोद कुमार पुत्र राजाराम नि0 ग्राम सिउडी थाना कलान जनपद शाहजहाँपुर का होना बताया गया तथा पूजा पत्नी विनोद कुमार उपरोक्त द्वारा उसके पति विनोद कुमार की हत्या उसके ही गाँव के रहने वाले 1. राजेश पुत्र गिरीशचन्द्र 2. योगेश पुत्र गिरीशचन्द्र 3. मुकेश पुत्र गिरीशचन्द्र 4. शिवम पुत्र राजेश 5. गौतम पुत्र राजेश 6. नीरज पुत्र नामालूम 7. दिव्यांश पुत्र आदित्य 8. इन्द्रपाल पुत्र नामालूम 9. जयचन्द पुत्र मंगली निवासीगण ग्राम सिउडी थाना कलान जनपद शाहजहाँपुर के द्वारा करके सिर गायब कर देने तथा धड़ को कुँए में डाल देने के सम्बन्ध में उक्त व्यक्तियों के विरुद्ध थाना कलान पर **मु0अ0सं0 0395/26 धारा 3(5)/103(1)/238(a) बीएनएस पंजीकृत** कराया गया। घटना के अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया। विवेचना के क्रम में भौतिक, इलेक्ट्रॉनिक तथा अन्य साक्ष्य संकलित किये गये। संकलित साक्ष्यों से यह तथ्य प्रकाश में आए कि विनोद उर्फ बाबा पुत्र राजाराम निवासी ग्राम सिउडी थाना कलान जनपद शाहजहाँपुर द्वारा मुकदमों से अपने आप को बचाने तथा राजेश आदि उपरोक्त व्यक्तियों को फसाने के उद्देश्य से अपने परिजनों 1. पूजा पत्नी विनोद उर्फ बाबा 2. श्रीमती सुमिरता पत्नी राजाराम 3.नंदकिशोर पुत्र राजाराम 4. कुंवरपाल पुत्र राजाराम 5.आलोक पुत्र विनोद उर्फ बाबा 6. आदित्य पुत्र विनोद उर्फ बाबा 7.मनोज पुत्र कुँवरपाल निवासीगण ग्राम सिउडी थाना कलान जिला शाहजहाँपुर से सलाह मशवरा करके अपने साथ रह रहे राजपाल निवासी ग्राम ऐठापुर थाना निगोही जिला शाहजहाँपुर जो कि अंधा था। विनोद शर्मा तन्त्र मन्त्र का काम भी करता है उसी तन्त्र मन्त्र के जाल मे उसने राजपाल को फंसा लिया तथा उसकी हत्या अपने दो अन्य साथियों 1.विकास पुत्र जीवाराम निवासी ग्राम कटरा थाना उसहैत जनपद बदायूँ 2. ओमपाल पुत्र रामस्वरूप निवासी ग्राम मुडिया खेडा थाना मूसाझाग जनपद बदायूँ के साथ मिलकर राजपाल का गला काटकर उसका सिर विहीन शव ग्राम सिउडी के पास स्थित एक सूखे कुँए में फेक दिया तथा उसके सिर को अटैना घाट गंगा में फेक दिया। मुखबिर की सूचना पर दिनांक 23.11.2026 को राजपाल की हत्या करने वाले अभियुक्तगण 1.विनोद उर्फ बाबा पुत्र राजाराम निवासी ग्राम सिउडी थाना कलान जनपद शाहजहाँपुर 2.विकास पुत्र जीवाराम निवासी ग्राम कटरा थाना उसहैत जनपद बदायूँ 3. ओमपाल पुत्र रामस्वरूप निवासी ग्राम मुडिया खेडा थाना मूसाझाग जनपद बदायूँ को अटैना से कलान को आने वाले रोड पर आँधीदेई के आगे ग्राम नौसना मडैया के बीच मे समय 20.16 बजे गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से आलाकत्ल 01 गडासा व ईंट का आधा टुकडा, 1 घड़ी, एक ब्लूटूथ, 1 विकलांगता कार्ड, 3002 रु0 नकद व 15 पीले रंग के सिक्के, 1 माचिस की डिब्बी तथा घटना में प्रयुक्त 01 हुंडई औरा कार बरामद हुई। मुकदमा उपरोक्त में नामित व्यक्तियों का लोप किया गया तथा घटना में प्रकाश में आए 1.विनोद उर्फ बाबा पुत्र राजाराम निवासी ग्राम सिउडी थाना कलान जनपद शाहजहाँपुर 2.विकास पुत्र जीवाराम निवासी ग्राम कटरा थाना उसहैत जनपद बदायूँ 3. ओमपाल पुत्र रामस्वरूप निवासी ग्राम मुडिया खेडा थाना मूसाझाग जनपद बदायूँ 4. पूजा,पत्नी विनोद उर्फ बाबा 5. श्रीमती सुमिरता पत्नी राजाराम 6.नंदकिशोर पुत्र राजाराम 7. कुंवरपाल पुत्र राजाराम 8.आलोक पुत्र विनोद उर्फ बाबा 9.आदित्य पुत्र विनोद उर्फ बाबा 10.मनोज पुत्र कुँवरपाल निवासीगण ग्राम सिउडी थाना कलान जिला शाहजहाँपुर के नामों की वृद्धि की गयी। तथा मुकदमें में धारा 61(2) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट का अपराध पाये जाने पर **धारा 61(2) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि** की गयी। अभियुक्तगण **1.विनोद उर्फ बाबा पुत्र राजाराम निवासी ग्राम सिउडी थाना कलान जनपद शाहजहाँपुर 2.विकास पुत्र जीवाराम निवासी ग्राम कटरा थाना उसहैत जनपद बदायूँ 3.**

ओमपाल पुत्र रामस्वरूप निवासी ग्राम मुडिया खेडा थाना मूसाझाग जनपद बदायूँ के विरुद्ध आवश्य विधिक कार्यवाही करते हुए नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहै है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरणः-

1. विनोद उर्फ बाबा पुत्र राजाराम, उम्र करीब 45 वर्ष, निवासी ग्राम सिउडी, थाना कलान, जनपद शाहजहाँपुर।
2. विकास पुत्र जीवाराम, उम्र करीब 19 वर्ष, निवासी ग्राम कटरा, थाना उसहैत, जनपद बदायूँ।
3. ओमपाल पुत्र रामस्वरूप, उम्र करीब 33 वर्ष, निवासी ग्राम मुडिया खेडा, थाना मूसाझाग, जनपद बदायूँ।

पंजीकृत अभियोग का विवरण –

- मु0अ0सं0 395/2026 धारा 3(5)/103(1)/238(a)/61(2) बीएनएस व धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कलान जनपद शाहजहाँपुर

गिरफ्तारी का स्थान व समयः-

- आँधीदेई के आगे ग्राम नौसना मडैया के बीच दिनांक 23.11.26 को समय रात्रि 20.16 बजे।

बरामदगी का विवरणः-

1. 1 अदद गडासा (आलाकत्ल) ।
2. आधा ईट का टुकडा (आलाकत्ल)
3. 1 अदद घडी
4. 1 अदद ब्लूटूथ
5. 1 अदद विकलांगता कार्ड
6. 3002 रू0 नगद व 15 अदद पीले रंग के सिक्के व 1 अदद माचिस की डिब्बी।
7. 1 अदद हुंडई औरा गाडी (रजि0 न0 UP24CT1018)।

अपराधिक इतिहास (अभियुक्त विनोद शर्मा उर्फ बाबा) का विवरणः–

1. मु0अ0स0 929/2016 धारा 323,504,506 भादवि थाना कलान जनपद शाहजहाँपुर।
2. मु0अ0स0 333/2023 धारा 354(ख),452 भादवि 7/8 पॉक्सो एक्ट व 3(2)(V) SC/ST ACT थाना कलान जनपद शाहजहाँपुर।
3. मु0अ0स0 30/2025 धारा 115(2)/118(1)/351(3)/352 भादवि थाना कलान जनपद शाहजहाँपुर।
4. मु0अ0सं0 395/2026 धारा 3(5)/103(1)/238(a)/61(2) बीएनएस व धारा 4/25 आर्म्स एक्ट
5. थाना कलान जनपद शाहजहाँपुर।

गिरफ्तार करने वाली टीमः –

1. प्रभारी निरीक्षक श्री शिवदीन वर्मा, थाना कलान, जनपद शाहजहाँपुर।
2. सर्विलांस प्रभारी श्री मोहनदेव शर्मा, मय टीम, जनपद शाहजहाँपुर।
3. उ0नि0 दिलशाद खाँ थाना कलान जनपद शाहजहाँपुर।
4. उ0नि0 मनोज कुमार उपाध्याय थाना कलान जनपद शाहजहाँपुर।
5. उ0नि0 मो0 आमीन थाना कलान जनपद शाहजहाँपुर।
6. उ0नि0 पुनीत शर्मा थाना कलान जनपद शाहजहाँपुर।
7. उ0नि0 जागेन्द्र प्रताप सिंह थाना कलान जनपद शाहजहाँपुर।
8. हे0का0 महेन्द्र नाथ शुक्ला थाना कलान जनपद शाहजहाँपुर।
9. हे0का0 अजीत सिंह थाना कलान जनपद शाहजहाँपुर।
10. कं0 आपरेटर मो0 आरिफ थाना कलान जनपद शाहजहाँपुर।
11. का0 गौरव तोमर थाना कलान जनपद शाहजहाँपुर।
12. का0 जितेन्द्र कुमार थाना कलान जनपद शाहजहाँपुर।
13. का0 रोहित कुमार थाना कलान जनपद शाहजहाँपुर।
14. म0का0 भावना शुक्ला थाना कलान जनपद शाहजहाँपुर।
15. म0का0 राखी थाना कलान जनपद शाहजहाँपुर।

पूछताछ विवरण (अभियुक्त विनोद उर्फ बाबा)-

अभियुक्त विनोद उर्फ बाबा पुत्र राजाराम निवासी ग्राम सिउडी थाना कलान जनपद शाहजहाँपुर ने पूछने पर बताया की साहब मैं ग्राम सिउडी थाना कलान जिला शाहजहाँपुर का रहने वाला हूँ मेरे ऊपर कुछ मुकदमें चल रहे हैं जिसमें कोर्ट द्वारा मेरे खिलाफ वारंट जारी किया गया है पुलिस मुझे भी तलाश कर रही थी तथा गाँव के पंडित राजेश, योगेश, मुकेश पुत्रगण गिरीशचन्द्र , शिवम , गौतम पुत्रगण राजेश मिश्रा तथा जाटव बिरादरी के जयचन्द, इन्द्रपाल, दिव्यांश, नीरज से मेरी रंजिश चल रही है उक्त लोगो को फंसाने व पुलिस से बचने तथा अपने मुकदमा खत्म कराने के लिये मेरे दिमाग में आया कि मैं अपनी हत्या का झूठा नाटक करूँ तो मैने अपनी पत्नी पूजा, माता जी सुमिरता, भाई नंदकिशोर व भाई कुंवरपाल व मेरे दोनों बच्चे आलोक और आदित्य तथा मेरा भतीजा मनोज पुत्र कुँवरपाल से सलाह मशवरा किया और फिर ग्राम ऐठापुर थाना निगोही जिला शाहजहाँपुर के रहने वाले राजपाल जो कि आँखो से अंधा था उसको मैने अपने जाल में फसाया उससे मैने कहा कि मैं अपनी तन्त्र विद्या से तुम्हारी आँखो की रोशनी वापस ला दूंगा राजपाल मेरी बातों में आ गया और वह मेरे साथ रहने लगा कुछ दिन राजपाल और हम दोनों ग्राम कटरा थाना उसहैत जनपद बदायूँ में दिनेश कुमार पुत्र जीवाराम जिनको मैं पहले से जानता पहचानता था उसके यहाँ रहे इसी दौरान दिनेश के भाई विकास से मेरी अच्छी जान पहचान हो गयी थी और उठना बैठना खाना पीना साथ साथ होने लगा था मैने अपनी बात विकास को बतायी तो विकास ने हमको ओमपाल से मिलवाया जो कि कार चलाता है। ओमपाल व विकास को हमने अपने मकसद से अवगत कराया तो उन लोगों ने हमसे पैसे माँगे दोनों ने कहा कि हम दोनों लोग 25 - 25 हजार रूपये लेंगे और आपके साथ चलकर आपका काम करा देंगे। मैनें दोनों को 05 - 05 हजार रूपए पहले दे दिये और बाकी पैसा काम होने के बाद देने के लिये कहा योजना के मुताबिक ओमपाल की कार से दिनांक 14.11.2026 को मैं, विकास व ओमपाल, राजपाल को ओमपाल की गाडी पर बैठाकर रात्रि करीब 10.00 बजे ग्राम सिउडी के बाहर सतीश के खेत में बने कुँए के पास हम चारो लोग कार को चकरोड पर खडा करके राजपाल को लेकर कुँए के पास पहुंचे और वहाँ पर बैठकर आपस में कुछ बाते करने लगे इसी दौरान एक ईट उठाकर मैने राजपाल के सिर मे मार दी थी जिससे राजपाल बेहोश हो गया था फिर विकास ने राजपाल के पैर पकडे और ओमपाल ने उसके दोनों हाथ पकडे थे मै एक गडांसा साथ लेकर के आया था उस गडासे से मैने राजपाल की गर्दन से सिर अलग कर दिया था। और उसके शव को उस सूखे कुँए में डाल दिया था तथा उसके सिर को मैने अपने एक झोले मे रख लिया फिर मैने वहाँ पर अपने आधार कार्ड की फोटो कापी व अपना कुछ सामान कुँए के पास बैग में रख दिया था ताकि कोई यह समझे की सिर कटी लाश विनोद (स्वंय) की है फिर हम तीनों लोग उसी कार में बैठकर वहाँ से चले गये रास्ते में अटैना पुल पर गंगा नदी में बीचो बीच धार में उस कटे सिर को थैला सहित फेंक दिया था इस प्रकार की योजना करीब 01 वर्ष से मैं किसी हत्या की साजिश कर रहा था लेकिन कोई व्यक्ति हमको नहीं मिल रहा था इसी दौरान निगोही क्षेत्र का रहने वाला राजपाल जो कि आँखो से अंधा था मेरे सम्पर्क मे आया और मुझे लगा कि राजपाल अंधा है तथा वह अपनी बीवी बच्चों व परिवार से कोई सम्बन्ध भी नहीं रखता है। जिससे हत्या के बाद उसके लावारिश शव की कोई पूछताछ भी नहीं करेगा। मै करीब 02 माह से राजपाल को मारने की योजना बना रहा था। उक्त घटना के बाद मैं अपने अलग अलग ठिकाने बदलकर अपने दोस्तों व रिश्तेदारों के घरों पर रहा था।

पूछताछ विवरण (अभियुक्त विकास)-

अभियुक्त विकास पुत्र जीवाराम निवासी ग्राम कटरा थाना उसहैत जनपद बदायूँ ने पूछने पर बताया कि साहब हम कटरा गांव के रहने वाले हैं विनोद शर्मा जो कि पहले से मेरे गाँव में आते जाते थे और झाड फूंक करते थे मेरे भाई दिनेश को जानते पहचानते थे कुछ दिन पहले विनोद शर्मा व राजपाल जो कि आँखो से अंधा था मेरे गाँव में आये थे और मेरे घर पर रहने लगे थे वह दोनों लोग मेरे घर पर खाना खाते थे इसी दौरान विनोद के साथ मेरा बैठना उठना हो गया और मैं विनोद व राजपाल एक साथ खाते पीते थे एक दिन अकेले मे विनोद ने हमको बताया कि मेरे खिलाफ जो मुकदमें चल रहे है उसमें कोर्ट ने मेरे खिलाफ वारंट निकाल दिया है। पुलिस हमको तलाश कर रही है तथा गाँव मे कुछ लोगों से मेरी रंजिश चल रही है। मुझे अपने आप को बचाना है तथा अपने दुश्मनों को फसाना है। फिर हमने ओमपाल को बुलाया जिसके पास कार है फिर हम तीनों लोगों ने बैठकर आपस मे सलाह मशवरा किया कि कैसे क्या किया जाये तो विनोद ने कहा कि राजपाल अंधे की हम लोग हत्या कर देंगे। और सबूत मिटाने के लिये इसका सिर काटकर नदी में फैंक देंगे। तो मैने व ओमपाल ने विनोद शर्मा से कहा कि इस काम के लिये हम लोगों को कितने पैसे दोगे तो विनोद शर्मा ने कहा कि 25 - 25 हजार रूपये दोनों लोगों को दूँगा 05 - 05 हजार रूपये विनोद ने मुझे व ओमपाल को दे दिये थे जो रुपये हम दोनों को दिये थे उसमें से मैने कुछ रुपये खर्च कर लिये जो पैसे बचे है यह वही रुपये हैं जो आज मेरे पास से आप लोगों को मिले हैं। जिनको विनोद ने राजपाल की हत्या के लिये दिये थे। साहब दिनांक 14.11.2026 को हम लोगों ने बहाने से राजपाल को कार में बैठा लिया था तथा हम तीनों लोग उसी गाडी से राजपाल को लेकर ग्राम सिउडी के बाहर कुँए के पास लेकर आये थे विनोद शर्मा पहले से ही एक झोले मे एक गडासा लेकर के आया था फिर हम लोगों ने राजपाल को पूजा करने की मुद्रा में कुँए के पास बैठा

दिया था। फिर विनोद शर्मा ने ईट राजपाल के सिर में मार दी जिससे राजपाल बेहोश हो गया था फिर मैने राजपाल के दोनों पैर पकडे और ओमपाल ने उसके दोनों हाथ पकडे तथा विनोद (बाबा) ने उसी गडासे से जो वह साथ लेकर आया था राजपाल का गर्दन काटकर सिर गर्दन से अलग कर दिया और उस धड को हम तीनों लोगों ने राजपाल के शव को पास मे स्थित सुखे कुँए में डाल दिया था। और विनोद ने एक झोले में उसका कटा सिर रख लिया था और फिर हम तीनों लोग जिस कार से आये थे। उसी कार मे बैठकर चले गये और फिर अटैना पुल पर पहुँचकर विनोद शर्मा ने राजपाल का कटा सिर को झोले सहित गंगा नदी मे फैंक दिया था और उसके बाद हम तीनों लोग इधर उधर घूमते रहे आज हम लोग नेपाल जा रहे थे कस्बा कलान से हम लोगों को विनोद के घरवालों से पैसे लेने थे कि आप लोगों ने पकड़ लिया। पैसो के लालच मे मेरे द्वारा यह काम किया गया है, मुझसे गलती हो गयी है।

पूछताछ विवरण (अभियुक्त ओमपाल)-

अभियुक्त ओमपाल पुत्र रामस्वरूप निवासी ग्राम मुडिया खेडा थाना मूसाझाग जनपद बदायूँ ने उपरोक्त दोनों व्यक्तियों के बयानों का समर्थन करते हुये बताया कि यह जो कार आज आप लोगों ने पकड़ी है वह मेरी है और मैं ही इस कार को चलाता हूँ विकास को मै काफी समय से जानता पहचानता हूँ कुछ दिन पहले विकास ने हमको बुलाया और मेरी मुलाकात बाबा विनोद से करवायी फिर हम विनोद शर्मा के पास आने जाने लगे विकास ने मुझसे कहा कि बाबा विनोद का एक काम होना है तो मैने व विकास ने बाबा विनोद से पूछा तो बाबा ने कहा कि मेरे ऊपर कुछ मुकदमें चल रहे हैं जिसमे कोर्ट से मेरे खिलाफ वारंट जारी हो गया है पुलिस हमको तलाश कर रही है तथा गाँव में कुछ लोगों से मेरी रंजिश चल रही है। मुझे अपने मुकदमे खत्म कराना है तथा जिन लोगो से मेरी रंजिश चल रही है उनको फसाना है। इसलिये मै किसी व्यक्ति की हत्या करके अपनी हत्या दिखा दूंगा। तो मैने उससे पूछा की किसकी हत्या करके ऐसा करोगे तो बाबा विनोद ने कहा कि यह राजपाल जो मेरे साथ रहता है जो कि अंधा है और हम पर पूरा भरोसा करता है इसी की हत्या करके सबूत मिटाकर हम अपनी हत्या दर्शा देंगे। तो मैने व विकास ने कहा कि इसके लिये आप हमको क्या दोगे तो बाबा ने हम दोनो को 25 - 25 हजार रूपये देने के लिये कहा 05 - 05 हजार रूपये हमको व विकास को बाबा विनोद शर्मा ने दे दिये फिर दिनांक 14.11.26 को मै अपनी गाडी लेकर विनोद शर्मा के पास पहुँचा वहाँ पर मेरी गाडी मे विकास, विनोद व राजपाल बैठकर विनोद शर्मा के गाँव सिउडी थाना कलान जिला शाहजहाँपुर मे गाँव के बाहर एक खेत मे बने कुँए के पास चकरोड पर गाडी खडी करके हम लोग कुँए के पास पहुंचे राजपाल अंधे को वही कुँए के पास पूजा करने की मुद्रा मे बैठा दिया और फिर विनोद ने वहाँ से एक ईट उठाकर राजपाल के सिर मे मार दी जिससे राजपाल अंधा बेहोश हो गया फिर विकास ने राजपाल के पैर पकडे और मैने राजपाल के हाथ पकडे और विनोद ने जो कि गडासा अपने साथ लेकर आया था उस गडासे से राजपाल की गर्दन काट कर सिर अलग कर दिया और उस राजपाल के सिर को एक झोले में रख लिया तथा राजपाल के धड़ को उसी सूखे कुँए मे हम तीनों ने मिलकर उठाकर फैंक दिया फिर हम तीनों लोग अपनी गाडी पर बैठकर अटैला पुल पर पहुंचे जहाँ पर विनोद शर्मा ने राजपाल के सिर को मय झोले के गंगा नदी में फेक दिया उसके बाद हम तीनों लोग इधर उधर घूमते रहे आज हम लोग कलान होकर नेपाल जा रहे थे कलान में विनोद शर्मा के परिजन विनोद को पैसा देने आ रहे थे। कि उससे पहले ही रास्ते मे आप लोगो ने हम लोगों को पकड़ लिया। मेरी गाडी की डिग्गी से जो गडासा बरामद हुआ है उसी गडासे से विनोद ने राजपाल की गर्दन काटकर सिर धड़ से अलग कर दिया था। घटना के बारे में विनोद के परिजनों को भी जानकारी थी। क्यूंकि इस काम को करने से पहले विनोद ने अपने परिजनों से सलाह मसवरा किया था। साहब पैसों के लालच में मेरे द्वारा यह काम किया गया है, मुझसे गलती हो गयी है।